

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

—आवेदन का प्रारूपः—

1. कृषक/लाभार्थी का नाम.....
2. कृषक के पिता/पति का नाम.....
3. कृषक का लिंग.....आयु.....जाति व श्रेणी.....
4. कृषक का स्थाई पता.....
जिला.....तहसील.....पोस्ट.....
पिनकोड.....संभाग.....राज्य.....
5. कृषक का समग्र परिवार आईडी.....आधार कार्ड नम्बर.....
6. मोबाइल नम्बर.....
7. कृषक का बैंक खाता विवरण— खाता संख्या.....
8. बैंक व शाखा का नाम.....आई.एफ.एस.सी.कोड.....
9. कृषक द्वारा दिनांक 01.02.2019 को धारित कुल भूमि हैक्टेयर में.....
10. कृषक द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में धारित कुल भूमि हैक्टेयर में (पत्नि व नाबालिंग बच्चों सहित) विवरण—

ग्राम का नाम जहां भूमि है।	खाता संख्या	खसरा/सर्वे नम्बर	कुल रकबा क्षेत्रफल हैक्टेयर में	भूमि में हिस्सा	तहसील का नाम जहां भूमि है।	जिला का नाम
पत्नि व नाबालिंग बच्चों की भूमि						
कुल योग						

//स्वयं घोषणा//

1. स्वयं अथवा मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदधारक मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य विधानसभा व विधान परिषद सदस्य नगरपालिका के मेयर जिला पंचायत सदस्य, केन्द्र व राज्य के कार्यालयों/विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र व राज्य सरकार सहायतित, अर्धशासकीय संस्थान तथा शासन से संबंधित समस्त कार्यालय संस्थान, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर) पद पर आसीन नहीं है।
2. मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों में से कोई भी आयकर के दायरे में अथवा करदाता नहीं है।
3. मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को मासिक पेंशन 10000 रुपये से अधिक (चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त पेंशनरों को छोड़कर) नहीं मिलती है, तथा मेरे परिवार में कोई भी सदस्य पेशेवर डॉक्टर/इंजिनियर/अधिवक्ता चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट/आर्किटेक्ट इत्यादि की श्रेणी में कोई भी सदस्य नहीं है इस लिए योजना में पूर्ण पात्रता रखता हूँ।
4. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता के सत्यापन हेतु आधार नंबर के प्रयोग हेतु मेरी सहमति है।

//सत्यापन//

मेरे द्वारा दिया गया विवरण तथा घोषणा में वर्णित कॉलम 1 लगायत 5 सत्य एवं सही है इस में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य न छुपाया है, न मिथ्या है यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उस का उत्तर दायित्व मेरा होगा इस योजना अंतर्गत दी गई धनराशि भू-राजस्व बकाये की भांति वसूल कर ली जाए।

दिनांक.....

हस्ताक्षर कृषक/आवेदक

नोट— नकल खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र परिवार आई डी की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें।